उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104-महात्मा गांधी मार्ग पर दिनांक 12-3-87 को हुई उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की वर्ष 1987 की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1-	श्री ज्ञान गुरुशरण द्विवेदी		अध्यक्ष
2-	श्री माता प्रसाद		सदस्य
3-	श्री परमात्मा प्रसाद सिंह		सदस्य
4-	श्रीमती उमा त्रिपाठी		सदस्य
5-	श्री योगेश बंसल		सदस्य
6-	श्री राम बाबू	विशेष सचिव, आवास (आवास सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
7-	श्री के०एन०सक्सेना	संयुक्त सचिव, आवास (आवास सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
8-	श्री आर०के०श्रीवास्तव	उप सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
9-	श्री एन०एस०जौहरी	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ०प्र०	सदस्य
10-	श्री शिव कुमार शर्मा	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	सदस्य
11-	श्री विश्राम सिंह	संयुक्त निदेशक, निदेशक, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो/ मुख्य मंत्री के प्रतिनिधि।	सदस्य
12-	श्री चन्द्र पाल	आवास आयुक्त	सदस्य
13-	श्री वेद प्रकाश शर्मा	अपर आवास आयुक्त	सचिव

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये:-

क्र०सं०	विषय	संकल्प सं०	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 18 व 22-12-86 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	प्रथम/(1)/87	परिषद की दिनांक 18 व 22-12-86 को हुई बैठक की कार्यवाही पुष्टि की गयी।
2-	परिषद की बैठक दिनांक 18 व 22-12-86 की अनुपालन आख्या।	प्रथम/(2)/87	परिषद द्वारा दिनांक 18 व 22-12-86 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से परिषद असंतुष्ट हुई है। इनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। अगली बैठक जो 20-4-87 को सुनिश्चित की गयी है, के पूर्व अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3-	बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार।	प्रथम/(3)/87	दिनांक 11-3-87 को हुई अनुश्रवण समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यवृत्त को परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिषद के अनुमोदनोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अनुश्रवण समिति की गत बैठक के निर्णयों पर क्या क्या अनुपालन किया गया उसकी भी समीक्षा की गयी।
4-	इन्दिरा नगर योजना, रायबरेली के अन्तर्गत प्रस्तावित अल्प आय वर्ग 29/60 प्रकार के 220 भवनों	प्रथम/(4)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	3
	की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।		
5-	इन्दिरानगर विस्तार योजना लखनऊ के सेक्टर-14 में स्वयं वित्त पोषित योजना वर्ष-85 के अन्तर्गत प्रस्तावित सेमीफिनिस्ड टाईप-1 के 78 एवं टाइप-2 के 73 भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(5)/87	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
6-	कुर्सी रोड योजना लखनऊ के सेक्टर-4 में नालियों के कार्य हेतु तथा सेक्टर-7 व 8 में मिट्टी के कार्य एवं सड़क के कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशा० एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(6)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
7-	रायपुर रोड योजना सं०-1 में स्वयं वित्त पोषित योजना वर्ष-1984 के अन्तर्गत निर्माणाधीन 89 भवनों के मध्य 2 हाल का निर्माण करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(7)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
8-	कुर्सी रोड योजना, लखनऊ के सेक्टर-1 में प्रस्तावित अल्प आय वर्ग-3/120 प्रकार के दो भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(8)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
9-	राजेन्द्रनगर योजना सं०-2 बरेली में बी०टी०-2 प्रकार के दो भवनों के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(9)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
10-	योजना सं०-7 फेज-2 मेरठ में स्वयं वित्त पोषित योजना वर्ष-1984 के अन्तर्गत निर्माणाधीन टाइप ए के 48 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(10)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
11-	अयोध्या मार्ग योजना फैजाबाद के कब्जा प्राप्त भूमि 19-22 एकड़ में मिट्टी के कार्य हेतु पूर्व स्वीकृति को विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(11)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
12-	हडको वित्त पोषित चार व्यावसायिक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हडको व्दारा निर्धारित शर्तों के अधीन ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(12)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। टिप्पणी के प्रस्तर-3 की दूसरी पंक्ति में शब्द ''अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।'' के स्थान पर ''अनुमोदित किया जा चुका है। सूचनार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है पढ़ा जाये।
13-	हडको वित्त पोषित आठ आवासीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हडको व्दारा निर्धारित शर्तों के अधीन ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(13)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। टिप्पणी के प्रस्तर-4 की तीसरी पंक्ति में शब्द ''अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।'' के स्थान पर ''अनुमोदित किया जा चुका है। सूचनार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।''

1	2	3	4
			पढ़ा जाये।
14-	हुडको द्वारा वित्त पोषित आवासीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हुडको द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(14)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
15-	योजना सं0-2 हापुड़ में निर्माणाधीन मध्यम आय वर्ग 53/127 प्रकार के 144 भवनों के निर्माण की दी गयी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(15)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
16-	इन्दिरा नगर विस्तार एवं इन्दिरानगर योजना, लखनऊ में स्ववित्त पोषित योजना वर्ष-85 के अन्तर्गत प्रस्तावित टाइप-1 के 196 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में	प्रथम/(16)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
17-	[illegible]0योजना के सेक्टर-4 में व्यवसायिक क्षेत्र में विशेष विकास कार्य कराने के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के लिए।	प्रथम(77)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
18-	योजना सं0-7 कंज मार्ग में रोड एवं ड्रेनेज कार्यों में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम(18)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
19-	कुर्सी रोड योजना लखनऊ में स्वयं वित्त पोषित योजना वर्ष-1985 के अन्तर्गत निर्माणाधीन टाइप-3 के 26 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(19)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
20-	विकास नगर, लखनऊ के सेक्टर-7 व 8 में पार्क एवं वृक्षारोपण के कार्यों हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(20)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। भविष्य में सम्पूर्ण मदों की जानकारी दी जानी चाहिए कितना प्राविधान था और कितनी बढ़ोत्तरी की जा रही है।
21-	विद्युत खण्ड-2 मेरठ के लिए जीप के स्थान पर एम्बेसडर कार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(21)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
22-	तत्कालीन आवास आयुक्त के आदेश सं0-2291/सतर्कता/115/84(707) दिनांक 19-7-86 के विरुद्ध श्री एस0एन0शर्मा भूतपूर्व अवर अभियन्ता के द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील की सुनवाई के सम्बन्ध में।	प्रथम(22)/87	परिषद की अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।
23-	तत्कालीन आ0आ0 के आदेश सं0 977 तथा 979/सतर्कता-49/85-(785) दि0 17-5-86 के विरुद्ध श्री जी0पी0गुप्ता, अवर अभियन्ता द्वारा 16-8-86 को प्रस्तुत की गयी अपील की सुनवाई के सम्बन्ध में।	प्रथम/(23)/87	परिषद की अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।
24-	तत्कालीन आ0आ0 के आदेश सं0-119/सतर्कता-4/81(228) दिनांक 7-7-83	प्रथम/(24)/87	परिषद की अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित।

1	2	3	4
	तथा आदेश सं0-1011 सतर्कता/4/81 228) दि0 20-6-86 के विरुद्ध श्री एम0आर0बन्सल, सहायक अभियन्ता के द्वारा दि0 29-10-86 को प्रेषित अपील की सुनवाई के सम्बन्ध में।		
25-	प्रतापगढ़ में निर्मित संपत्तियों के आवंटन के सम्बन्ध में।	प्रथम/25)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रतापगढ़ में 230 पंजीकृत व्यक्ति अभी अवशेष हैं एवं अन्य कोई स्कीम भी नहीं चलायी जानी है। अतः सहमति पत्र माँगे जाने का कोई औचित्य नहीं है। इन 230 पंजीकृत व्यक्तियों को उपलब्ध भवन आवंटित कर दिये जायें एवं यदि वे इन भवनों को न लेना चाहें तो उन्हें बिना दण्ड दिये धनराशि वापस कर दी जाये परन्तु एक निश्चित तिथि तक उन्हें कुछ शिथिल स्पष्ट करनी होगी। प्रायः लाटरी से पूर्व नम्बर प्लान नहीं बन पाते। यह सुनिश्चित किया जाये।
26-	इन्दिरा नगर योजना, रायबरेली में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित दु0आ0व0 के 18/40 प्रकार के 70 भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(26)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
27-	श्री कैलाश सिंह, सेवपाल की सेवाओं का नियमितीकरण।	प्रथम/(27)/87	परिषद की अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थगित।
28-	(क) राजाजीपुरम में स्वयं वि0पो0योजना वर्ष-84 के अन्तर्गत निर्माणाधीन श्रेणी-ख प्रकार के 9 भवनों तथा (ख) योजना सं0-7 फेज-2 मेरठ में स्वयं वित्त पोषित योजना-84 के अन्तर्गत निर्माणाधीन श्रेणी ''ग'' प्रकार के 45 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(28)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
29-	मेरठ की योजना सं0-1 में टेलीफोन विभाग को प्रदिष्ट 1-99 एकड़ भूमि के देय मूल्य पर ब्याज की छूट एवं भूमि का कब्जा देने के संदर्भ में।	प्रथम//(29)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में भूमि का कब्जा तो दे दिया जाये परन्तु शासन से पुनः अनुरोध किया जाय कि ब्याज छोड़ने से परिषद को 9 लाख रुपये के आसपास वित्तीय हानि होगी एवं क्योंकि टेलीफोन विभाग व्यावसायिक संस्था है। अतः यह राशि परिषद को दिलाई जाये।
30-	मेरठ योजना सं0-7 फेज-2 में मिट्टी के कार्यों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(30)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
31-	विकास नगर लखनऊ के अन्तर्गत विद्युतीकरण के कार्यों हेतु पुनरीक्षित एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(31)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि रु0 38-77 लाख की वृद्धि प्रतीत होती है। मुख्य अभियन्ता पूर्ण विवरण अपनी आख्या सहित आयुक्त एवं चेयरमैन के समक्ष रखें।
32-	देहरादून रोड योजना सं0-1 रुड़की		

1	2	3	4
32-	देहरादून रोड योजना सं०-1 रूड़की में निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में	प्रथम/(32)/87	परिषद की अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थगित।
33-	सितापुर रोड पर स्थित योजना हरदोई में कब्जा प्राप्त भूमि 2-55 एकड़ मलोनी भूमि विकास एवं गृह-स्थान योजना सं०-4 मुरादाबाद में कब्जा प्राप्त भूमि 136.00 एकड़ तथा 2- जटिया योजना सं०-1 जटिया में कब्जा प्राप्त भूमि 2-43 एकड़ पर विकास कार्य कराने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(33)/87	परिषद के द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
34-	ऋषिकेश भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, में कब्जा प्राप्त भूमि पर विकास कार्य कराने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(34)/87	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
35-	देहली रोड योजना सं०-1 हरिद्वार में सड़कों एवं नालों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(35)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
36-	एन०सी०विस्तार तथा ए०एन० (प्रथम) योजना में कुछ वित्त पोषित योजना के वर्ष-85 के अन्तर्गत प्रस्तावित टाइप-3 के 199 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	प्रथम(/36)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि रु० 23-03 लाख की वृद्धि हुई। जांचकर आवास आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय अगली बैठक में प्रस्तुत करें।
37-	योजना सं०-7 सेक्टर-2 मेरठ में दु०आ०ब० 18/40 प्रकार के 66 भवनों के निर्माण हेतु विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(37)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
38-	इन्दिरानगर विस्तार(प्रथम) योजना में कुल 817 एकड़ भूमि पर बाह्य विद्युतीकरण के कार्यों हेतु विस्तृत प्राक्कलनों के आधार पर पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(38)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 166-43 लाख की वृद्धि हुई। अतः आवास आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय संयुक्त रूप से जांच करके अगली बैठक में प्रस्तुत करें।
39-	समूह "घ" (चतुर्थ श्रेणी तथा वर्कचार्ज) कर्मचारियों के लिये समूह "ग" के न्यूनतम श्रेणी के लिपिकीय पदों में आरक्षण।	प्रथम/(39)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित संशोधन में इस प्रकार संशोधन किया जाये:- 1- सीधी भर्ती द्वारा 85 प्रतिशत पद परन्तु परिषद कर्मचारियों तथा वर्क चार्ज कर्मचारियों के अनुभव के आधार पर अंक देकर वरीयता दी जावे। 2- 15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी (समूह "घ") के कर्मचारियों से पूरे किये जावें चाहे वे स्थाई हों या अस्थाई परन्तु अर्हता रखते हों।

1	2	3	4
40-	ए0न0विस्तार योजना(प्रथम) एवं एम0न0 योजना लखनऊ में शेष वित्त पोषित योजना वर्ष-1985 के अन्तर्गत श्रेणी 'एद' प्रकार के 59 भवनों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(40)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
41-	तत्कालीन आ0आ0के आदेश सं0-1666/सतर्कता-1980 दि0 20-6-86 के द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध श्री मो0शकील खाँ, अवर अभियन्ता के द्वारा 9-1-87 को प्रस्तुत अपील की सुनवायी के सम्बन्ध में।	प्रथम/(41)/87	परिषद की अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थगित।
42-	काशीपुर, हरदोई तथा प्रतिमा नगरों में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित दु0आ0व0 एवं अ0आ0व0 भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(42)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
43-	सिविल लाइन्स योजना सं0-3 रामपुर तथा शंभू गेट योजना सं0-1 बन्दोला में कब्जा प्राप्त भूमि पर विकास कार्यों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(43)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
44-	विकास नगर(कुर्सी रोड योजना) लखनऊ में दु0आ0व0 के नये टाईप डिजाइन 18/50 तथा 15/25 प्रकार के दो भवनों के निर्माण परीक्षण के तौर पर बनाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(44)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी पर प्रतिबन्ध यह होगा कि वास्तविक मूल्य निकाल लिया जावे।
45-	विकास नगर (कुर्सी रोड योजना) लखनऊ के सेक्टर-2 में पार्कों के निर्माण हेतु विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(45)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
46-	परिषद की पक्कानपुरा योजना सं0-1 सहारनपुर में अवशेष रिक्त दुकानों के निस्तारण के सम्बन्ध में।	प्रथम/(46)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
47-	आवास परिषद की इन्दिरानगर विस्तार योजना लखनऊ में समाविष्ट ईश्वरपुरी-सहकारी गृह निर्माण समिति लि0, लखनऊ की भूमि सं0-301, 302, 303, 311, 312, 313 तथा 315 क्षेत्रफल 20,570 +— वर्गमीटर भूमि अर्जन करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(47)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस आशय का एग्रीमेन्ट करा लिया जावे कि सम्बन्धित सहकारी समिति अपने व्यय पर बिना मुआविजा के मानक के अनुसार बनायेगी। अनुबन्ध हो जाने पर परिषद को भूमि छोड़ने पर आपत्ति नहीं है।
48-	आवास परिषद की डोमरोली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना मिर्जापुर में विवादित रिट याचिका सं0-5243/81, 4576/81 तथा 4577/81 के सम्बन्ध में।	प्रथम/(48)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से नियोजन समिति की संस्तुति पर सहमति प्रदान की गयी।

1	2	3	4	5
9-	परिषद की मझोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4 (भाग-2) मुरादाबाद (क्षेत्रफल 850 एकड़ अनुमानित लागत रू0 3340-42 लाख)	प्रथम/(49)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।	
50-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद ✓ भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1979 (संशोधित जून-1 (ज0) में संशोधन।	प्रथम/(50)/87	परिषद ~~पनि~~ व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।	
-	अयोध्या मार्ग योजना फैजाबाद के कब्जा प्राप्त भूमि 18-22 एकड़ पर सड़क के कार्यों हेतु विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(51)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।	
2-	रायपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 (लाडपुर टी) देहरादून की भूमि अर्जित करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(52)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूँकि देहरादून में लगभग 6000 व्यक्ति पंजीकृत अवशेष है अतः भूमि अर्जित की जावे। टिप्पणी के पृष्ठ-2 पर पहली पंक्ति में शब्द ''एक मीटर'' गलत छपा है, वास्तविक यह किलोमीटर है इसे संशोधित किया जावे।	
3-	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(53)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।	
4-	वर्ष-1987-88 के प्रथम 3 माह के व्यय हेतु लेखा अनुदान।	प्रथम/(54)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वर्ष-86-87 में प्रथम 3 माह में विभिन्न मदों पर जो व्यय हुआ है उसी के अनुरूप 87-88 के 3 माह (अप्रैल से जून तक) में व्यय किया जावे। जो 40 करोड़ से अधिक न हो। बजट शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा।	
55-	मेरठ योजना सं0-4 में हैन्डलूम मार्केट विकसित करने हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण को भूमि का आवंटन।	प्रथम/(55)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यह भूमि मेरठ विकास प्राधिकरण को देना संभव नहीं है।	
56-	इन्दिरानगर योजना, देहरादून के अन्तर्गत डाक एवं तार विभाग को प्रदत्त भूमि दर के सम्बन्ध में।	प्रथम/(56)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परन्तु शासन को ब्याज की हानि के बारे में संदर्भ भेजा जावे।	
57-	श्री शिव शंकर त्रिपाठी, आवंटी अल्प आय वर्ग भवन सं0 ब0-1309/36 को भवन अग्रिम विलम्ब से स्वीकृत होने के कारण उक्त भवन के निरस्त किया गया, दण्ड ब्याज माफ किये जाने के संबंध में।	प्रथम/(57)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दण्ड ब्याज माफ कर दिया जावे।	
58-	अमरोहा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 अमरोहा क्षेत्रफल 52-40 एकड़ को परिष्कृत कर केवल 25-194 एकड़ भूमि लिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(58)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।	

1	2	3	4
59-	कम्पाउण्डिंग समिति की दिनांक 27-1-87 बैठक में लिए गए निर्णय का अनुमोदन।	प्रथम/(59)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भवन सं०-डी०- 395 के प्रापर्टी से केवल रु० 500 से कम्पाउण्डिंग की जाये एवं कम्पाउण्डिंग समिति को क्रियाशील बनाने के लिये मुख्य वास्तुविद नियोजक आवास आयुक्त से विचार विमर्श करके प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करें।
60-	शाहजहाँपुर-बरेली मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-3 शाहजहाँपुर (क्षेत्रफल 90-88 एकड़ अनुमानित लागत 186-80 लाख धारा-28 के अनुसार।	प्रथम/(60)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
61-	गुरुकुल कांगड़ी (कनखल) भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-2 हरिद्वार।	प्रथम/(61)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
62-	परिषद योजनाओं के नामांकन के सम्बन्ध में।	✓ प्रथम/(62)/87	परिषद की अगली बैठक के लिए विचारार्थ स्थगित।
63-	भवन /भूखण्ड में वाटरमीटर लगा होने अथवा उसके लिये निर्धारित धनराशि परिषद कोष में जमा कराये जाने की शर्त मानचित्र स्वीकृति से पूर्व किया जाना आवश्यक न होना।	प्रथम/(63)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि नक्शा पास करने के लिये वाटरमीटर की आवश्यकता से छूट दी जाती है परन्तु पानी के कनेक्शन के पूर्व वाटर मीटर लगाना अनिवार्य होगा।
64-	परिषद योजनाओं में सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रयोजन हेतु भूमि के आवंटन हेतु समिति गठित करने के संदर्भ में।	प्रथम/(64)/87	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।
65-	ट्रान्सपोर्ट नगर योजना सं०-2 मेरठ में नीलामी से निस्तारण होने वाली सम्पत्तियों का भुगतान परिवर्तन के संदर्भ में।	प्रथम/(65)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
66-	लोहरीघाट रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना आगमपाट की 7-765 एकड़ भूमि का परित्याग करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(66)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 1-78 एकड़ भूमि पर 25 मध्यम आय वर्ग के भवन जो बन रहे हैं उन्हें छोड़कर शेष भूमि का परित्याग कर दिया जाये।
67-	लखनऊ रायबरेली रोड पर तेलीबाग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-2 लखनऊ के अन्तर्गत पुनरीक्षित 843-97 एकड़ भूमि के प्रस्ताव की स्वीकृति।	प्रथम/(67)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
68-	कन्नौज भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-1 (कन्नौज) क्षेत्रफल 60-00 एकड़ तथा अनुमानित लागत रु० 208-33 लाख)	प्रथम/(68)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अब खोले जा रहे पंजीकरण का परिणाम देखकर पुनः प्रस्तुत किया जाये।
69-	लखनऊ रायबरेली रोड पर तेलीबाग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-3 लखनऊ को चलाये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(69)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
70-	मझोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4 (भाग-2) में समाविष्ट श्री चूड़ामणि-जाटव मुरादाबाद के करारा नं0-934 की शासनादेश के अनुपालन में अर्जन-मुक्त करने सम्बन्धी अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त महोदय के संयुक्त निर्णय की सूचना।	प्रथम/(70)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
71-	तत्कालीन आवास आयुक्त के आदेश सं0-3104-सतर्कता-13/86 (823) दिनांक 22-8-86 तथा 3105 सतर्कता/13/86 (823) दिनांक 22-8-86 के विरुद्ध श्री गिरीश चन्द्र, अवर अभियन्ता के व्दारा दिनांक 30-12-86 को प्रस्तुत की गयी अपील की सुनवाई के प्रसंग में।	प्रथम/(71)/87	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।
72-	श्रीमती एन0राजन को वाराणसी में उच्च आय वर्ग का एक भवन दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(72)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस सम्बन्ध में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
73-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में शिक्षण संस्थाओं को रियायती दर पर भूखण्ड दिये जाने तथा गाइड लाइन में आंशिक संशोधन के संदर्भ में।	प्रथम/(73)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- शिक्षण संस्थाओं हेतु निर्धारित गाइड लाइन्स के परिशिष्ट 'ब' में प्रस्तावित संशोधन 1, 2 व 5 मान्य नहीं है। संशोधन-3 के संदर्भ में एतद्निमित्त संस्था विद्यालय में उपलब्ध सीटों में से 2 प्रतिशत सीटें परिषद कर्मचारियों के बच्चों हेतु उपलब्ध करायी जायें एवं 2 प्रतिशत सीटें परिषद के ही निस्तारण पर हैं। संशोधन-4 के संदर्भ में शिक्षा सचिव को सत्यापित किया जाये कि मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कितने प्रतिशत सीटें निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को दिये जाने का प्राविधान है। तदनुसार प्राविधान किया जावे। शासन के पत्र सं0-7323/115-86 (1487)/86/नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 11-11-86 में दिये गये भूमि दर मान्य नहीं है परन्तु यदि शासन अनुदान दे तो उन पर विचार किया जा सकता है। प्लाट 50 प्रति0 दर पर पात्रता से अथवा जो भी एवं यदि कहीं कोई विशिष्ट मामला आयेगा तो परिषद में निर्णय लिया जायेगा।
74-	आशुलिपिक ग्रेड-3 से आशुलिपिक ग्रेड-2 (सेलेक्शन ग्रेड) में पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(74)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पदोन्नति के अन्य सभी मामलों को भी एक स्थान पर रखकर उपलब्ध करायी जा सकें। पदोन्नति के संदर्भ में शासन को पुनः संस्तुति की जाये कि वे प्रतिबन्ध हटाने की कृपा करें क्योंकि पदोन्नति हेतु कर्मचारियों में बड़ा असन्तोष है।

	2	3	4
	विक्रय की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में (लाभांश हेतु)।	प्रथम/(75)/87	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ अनिल।
	परिषद में विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(76)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि शासन से शीघ्र निर्णय प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जाये।
	योजना सं0-7 फेज-I मेरठ में नालियों एवं पटरियों के कार्य हेतु विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(77)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
	श्री उत्तम चन्द्र बंसल, सहायक अभियन्ता को बहाली दि0 1-8-76 से चार्ज करने के दिनांक 1-8-76 से 31-7-79 तक के अवशेष वेतन के भुगतान न करने के आदेश के विरूद्ध अपील।	प्रथम/(78)/87	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ अनिल।
9-	श्री उत्तम चन्द्र बंसल, सहायक अभियन्ता को अधिशासी अभि0 के पद पर प्रोन्नति दिये जाने विषयक।	प्रथम/(79)/87	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ अनिल।
10-	श्री [illegible] सिंह को स्वयं [illegible] घोषित करने [illegible] योजना, मुरादाबाद के आवंटन में [illegible] दर ब्याज की माफी।	प्रथम/(80)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विशेष परिस्थितियों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये ब्याज के देय मद में से 40000/-रुपये की छूट दी जाये जो दृष्टान्त नहीं बनेगा।
11-	नीलामी व्दारा आवासीय भूखण्डों का आवंटन।	प्रथम/(81)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि लखनऊ में प्लाटों के लिये 5685 व्यक्ति (पंजीकृत) अवशेष हैं। नये उपलब्ध भूखण्ड में सम्पूर्ण रूप से ( ) नया ले आउट बनाते समय निम्न व्यवस्था की जाये:- 400 वर्गमीटर से 500 वर्गमीटर तक — 5 प्रतिशत 300 से 400 वर्गमीटर तक — 15 प्रतिशत 200 से 300 वर्गमीटर — 25 प्रतिशत 200 वर्गमीटर से कम — 55 प्रतिशत। इन प्लाटों को सामान्य आवंटन प्रक्रिया से आवंटित किये जायें। उपरोक्त में इंगित प्रस्ताव के अनुसार बने प्लाटों की स्वीकृति के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। चूंकि 300 वर्गमीटर प्लाट की सीलिंग को बढ़ाकर 400 वर्गमीटर किया गया है। अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ था कि 400 वर्गमीटर से बड़ा यदि कोई भूखण्ड होगा तो उसकी कीमत में 25 प्रतिशत "ओवरस्लैब" वृद्धि होगी। उदाहरणार्थ यदि प्लाट 425 वर्ग मीटर होगा तो वर्तमान दर बढ़ाकर 25 प्रतिशत की वृद्धि सम्पूर्ण 425 वर्गमीटर पर लगायी जायेगी।
82-	विभिन्न निर्माण सामग्रियों की दर अनुबन्ध के सम्बन्ध में।	प्रथम/(82)/87	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। परन्तु परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उद्योग निदेशालय की क्रय नीति के अनुसार प्रदेश के उद्योगों को प्राथमिकता दी जाये [illegible] एस0आई0 मार्क की सामग्री क्रय [illegible]।

1	2	3	4
75- 76-	परिषद के विभिन्न तकनीकी अधिकारियों द्वारा निर्माण एवं विकास कार्यों की निविदायें स्वीकृत करने का अधिकार सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(83)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि स्वीकृत करने के लिये अथवा स्वीकृति दान के एक भाग के निष्पादन करने के लिये निविदाओं की अधिकार सीमा निम्न प्रकार बढ़ाते हुये स्वीकृति दी गयी:-
77-		जिसके द्वारा प्रयोग किया जायेगा।	अधिकार सीमा
		मुख्य अभियन्ता	पूर्ण अधिकार बरा प्रतिबन्ध के
78		अधीक्षण अभियन्ता	साथ पूर्ण अधिकार रु० 50 लाख के ऊपर की निविदायें मुख्य अभियन्ता को भेजना अनिवार्य होगा। अधिशासी अभियन्ता 20 लाख परिच्छेत्र-प्रभारी / 5 लाख सहायक अभियन्ता
79			यह समस्त अधिकार उस सामग्री के मूल्य को छोड़कर है जो परिषद केन्द्रीयकृत रूप से क्रय करती है यथा सीमेंट लोहा एवं अन्य अनुमोदित आदि कोई हो।
84-	फतेहपुर आवास योजना में निर्मित सम्पत्तियों के आवंटन के सम्बन्ध में।	प्रथम/(84)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
85-	श्री आर०एस०श्रीवास्तव सेवा निवृत्त लेखाधिकारी को परिषद कार्यालय में 'आडिट मैनुअल' तैयार करने हेतु विशेष कार्याधिकारी (आडिट) नियुक्त किया जाना।	प्रथम/(85)/87	श्री आर०एस०श्रीवास्तव, सेवा निवृत्त लेखा अधिकारी को नियुक्त किए जाने के सम्बन्ध में परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उन्हें एक वर्ष के लिये नियुक्त कर लिया जाये। परन्तु निर्धारित राशि एक मुश्त प्रतिमाह वेतन रूप में होगी। तदनुसार समुचित नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये जायें।
86-	आवास परिषद की जनपद कानपुर में प्रस्तावित कानपुर योजना सं०-1 तथा योजना सं०-3 में विवादित समितियों की भूमि के सम्बन्ध में।	प्रथम/(86)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्री० बी० आर० मुख्य वास्तुविद नियोजक, उपायुक्त आवास श्री ओंकार नाथ यादव एवं सहायक आवास आयुक्त (भूमि अर्जन) श्री श्रीवास्तव इसकी जांच कर संस्तुति देंगे।
87-	नार्दर्न लीजिंग लिमिटेड, कानपुर से 10 करोड़ रुपये का ऋण लेने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(87)/87	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ आमंत्रित।
88-	श्री शैलेन्द्र मोहन पचौरी के नाम लिस्ट घोषित बीमा लिमिटेड योजना-आगरा के अन्तर्गत पंजीकरण सं०-एल०जी०/एस०एच०एल०बी०-55(II) को गाजियाबाद मध्यम आय वर्ग में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।	प्रथम/(88)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।
89-	परिषद के कार्य क्षेत्र में आने वाले 124 शहरों में नया पंजीकरण खोलने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(89)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
90-	अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति।	प्रथम/(90)/87	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ आमंत्रित।

1	2	3	4
91-	इन्दिरानगर एवं इन्दिरानगर विस्तार योजना, लखनऊ में स्व वित्त पोषित योजना वर्ष-85 के अन्तर्गत पूर्व में निर्मित किये गये सभी श्रेणियों के भवनों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की अद्यावधिक सूचना के आधार पर पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(91)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
92-	स्टेट बैंक आफ इण्डिया, लखनऊ से रु० 250/-लाख की कैश क्रेडिट लिमिट की लेने एवं उस पर 17-5 प्रतिशत ब्याज दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(92)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
93-	दुकानों में आरक्षण की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(93)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार किया गया परन्तु यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में आरक्षण सम्बन्धी जो शासनादेश है उनका अनुपालन करते हुये आख्या आवास आयुक्त एवं अध्यक्ष को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाये।
94-	वर्ष-87-84 हेतु प्रस्तावित भूमि विकास एवं भवन निर्माण के लक्ष्यों के सम्बन्ध में विचार।	प्रथम/(94)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित भाग निरस्त किया गया:- ''उपखण्ड में उपखण्डीय अधिकारी के रूप में वरिष्ठतम उपलब्ध सहायक अभियन्ता को नियुक्त किया जायेगा'' एवं इन शब्दों के स्थान पर ''पूरे परिषद की सेवा क्षेत्र में अनुपयुक्त को छोड़ते हुये केवल वरिष्ठतम सहायक अभियन्ताओं को ही उसी क्रम में उप खण्डों में उपखण्डीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाये। अन्य स्वीकृत किया गया।
95-	सचिव, आवास एवं नगर विकास का पत्र दिनांक 3-1-87	प्रथम/(95)/87	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।
96-	प्रथम एवं द्वितीय हेतु धनराशि में कमी तथा वसूली अवधि में वृद्धि सम्बन्धी।	प्रथम/(96)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
97-	भूखण्डों के मूल्य की वसूली की अवधि में वृद्धि के सम्बन्ध में।	प्रथम/(97)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
98-	भवन परिवर्तन शुल्क 10 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत किया जाना।	प्रथम/(98)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
99-	लुवाली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-4 भाग-2 मुरादाबाद के अध्यासन हेतु नियोजन समिति द्वारा स्वीकृति किये गये क्षेत्रफल में वृद्धि तथा पार्किंग कॉमर्शियल प्लाट की भूमि के सम्बन्ध में।	प्रथम/(99)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
100-	इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में निर्मित दुमंजिले एम०-2/80 व एम०-6/80 टाइप के भवनों का मूल्य स्थिर किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(100)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
101-	स्व वित्त पोषित योजना 1984 व 1985 के भवनों में बढ़ी हुई कीमतों के लिए रु० 1,25,000/- तक की अधिकतम सीमा तक ऋण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(101)/87	स्वीकार किया गया।
102-	परिषद के माननीय सदस्यों को वेतन भत्तों की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(102)/87	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।
103-	बरेली पीलीभीत बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-7 बरेली (क्षेत्रफल 797 एकड़ अनुमानित लागत रु० 2482-88 लाख).	प्रथम/(103)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परिषद 597 एकड़ भूमि का अधिग्रहण की गयी है एवं शासन के निर्णय के अनुसार केवल 200 एकड़ भूमि बरेली विकास प्राधिकरण को दी जायेगी। तदनुसार कार्यवाही की जाये।
104-	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय।	प्रथम/(104)/87	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत विषयों पर परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त निम्न प्रकार निर्णय लिये गये:—
		1-	श्री आर०के०श्रीवास्तव, जो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के सुपुत्र हैं को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत लखनऊ में आवंटित किये जाने वाले भवनों में देय मूल्य में से रु० 30,000/- मात्र की छूट दी गयी। पूरी ब्याज राशि की छूट दिया जाना संभव नहीं है।
		2-	आशुलिपिक श्री कमलेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निमुक्त किया जाये। श्री शिवकरन की नियुक्ति पर जाँच कर एवं अधीक्षण अभियन्ता का स्पष्टीकरण प्राप्त कर उन्हें दंडित करने की कार्यवाही पर भी विचार किया जाये कि उन्होंने श्री कमलेश कुमार को परीक्षा सूची में परिकल्पित होते हुये सूची को निरस्त कर दी। और औपचारिकता एवं ... जी को दिखाया जाये।
		3-	माननीय सदस्य श्री एस०के०शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, जल निगम ने यह प्रस्ताव रखा कि विस्तृत आगणन पर ही प्रथम प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी जानी चाहिये। परिषद की ओर से यह तर्क रखा कि इस प्रकार 6-7 माह में केवल विस्तृत आगणन ही बन पायेंगे और कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पायेंगे। परिषद की हानि न हो परिषद चाहे कि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देने लिये केवल यूनिट कास्ट उच्च आय वर्ग मध्यम आय वर्ग, अल्प आय वर्ग एवं दुर्बल आय वर्ग की मानक के आधार पर जो निर्धारित लागत हो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी जा सकती है जिससे कार्य तुरन्त प्रारम्भ हो और इसी मध्य तीन माह के अन्दर विस्तृत आगणन बनाकर टेक्निकल स्वीकृति जारी की जाये। टेक्निकल स्वीकृति बिना विस्तृत आगणन के जारी नहीं की जायेगी। इस पर विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि परिषद हित में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे परिषद हित में कार्य भी न रुके और कोई वित्तीय अनियमितता भी न हो कि इसके लिये परिषद के मुख्य अभियन्ता, प्रबन्ध निदेशक, जल निगम एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

1	2	3	4
			को सम्मिलित करते हुये एक समिति गठित की गई। यह समिति विस्तार से इसका अध्ययन करे और आवास आयुक्त से विचार विमर्श के उपरान्त परिषद की अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत करेगी। तब तक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मानक के अनुसार निर्धारित लागत के आधार पर दिये जाने की प्रथा जारी रहेगी जिससे कार्य न रुक सके।
			4- मद सं0-46 एवं इसी प्रकार के मानकों को लेकर शेयरों को बढ़ाने के विषय में दिनांक 8-4-87 को होने वाली बैठक में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे।
			5- मद सं0-20 को देखने से यह प्रतीत हुआ कि यद्यपि 127-70 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है एवं मिट्टी एवं सड़क के कार्य इत्यादि भी दि0 14-1-87 को पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। फिर भी वृक्षारोपण पर कार्य हेतु सेक्टर-7 एवं 8 में क्रमशः 1-77 लाख एवं 3-57 लाख की पुनरीक्षित स्वीकृति मांगी जा रही है अतः परिषद को अवगत कराया जावे कि क्या प्रत्येक बिन्दुओं पर एक ही स्वीकृति की बार-बार अलग अलग पुनरीक्षित स्वीकृतियां दी जाती है। भविष्य में ऐसे अन्य परिवर्तित बिन्दुओं की भी जानकारी दी जाया करे।
			6- भविष्य में परिषद की होने वाली बैठक प्रत्येक माह की 20 तारीख को हुआ करेगी एवं यदि उस तिथि को सार्वजनिक अवकाश होगा तो उससे अगले कार्य दिवस में 11-00 बजे होगी। एजेण्डा माह की 15 तारीख तक अनिवार्यतः आ जाना चाहिये। सम्बन्धित अधिकारी तदनुसार कार्यवाही करें।
			7- परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के किसी एक सेक्टर में कुछ भूखण्डों को विकसित करके उन्हें परिषद के इच्छुक माननीय सदस्यों एवं अधिकारियों को आवंटित किया जाये।
			8- कल्याण कोष परिषद द्वारा यह अनुमोदित किया गया कि ऐसा प्रारूप को आवास आयुक्त एवं अध्यक्ष देखकर परिषद की अगली बैठक में रखें।
			✓ 9- माननीय अध्यक्ष जी के पास 30-35 व्यक्तिगत मामलों के सन्दर्भ लम्बित हैं जिनमें से कुछ व्यक्तिगत अधिकारियों को सन्दर्भित हैं परन्तु परिषद के समक्ष नहीं आ सके। उपरोक्त मामलों पर आवास आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
			10- श्रीमती शाहजहाँ बेगम का आवंटित गृह निरस्त कर श्रीमती [illegible] को दे दिया गया है। उप आवास आयुक्त भी जीवित रहते हुये आवास दिलाने एवं अध्यक्ष महोदय को अवगत करायेंगे।

1	2	3	4
			11- इन्दिरा नगर में एल श्री देवमणि चौधरी को आवंटित भवन सं० 18/75 का मामला लम्बित है। वे स्वयं कारण से मामले नहीं जा पा रहे हैं। श्री दीक्षित उप आवास आयुक्त द्वारा तत्काल इसे निपटायें।
			12- श्रीमती शीला मैत्रा को आवंटित प्लाट के मूल्य के मामले पर विचार विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि लाभ ले चुका एवं उस समय के मूल्य के अन्तर की 50 प्रतिशत तक उन्हें छूट दी जाये।
			13- क्रमांक-10 पर अंकित प्रकरण के अन्तर्गत श्री के०एन०वाजपेयी के मामले पर श्री जौहरी अवगत कराने हेतु निर्देश दिये गये।
			14- गौरा मडदी पुनर्वास योजना को छोड़ दिये जाने का निर्णय लिया गया।
			15- लाजपत ब्लाक सहकारी समिति, कानपुर के विषय में यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित भूमि के बेनामे हो चुके हैं। इसे छोड़ दिया जाये। अन्य को शासन को पुनः अवमुक्त किया जाये।
			16- परिषद ने समय समय पर नीति विषयक विभिन्न संकल्प लिये हैं जिनमें हेर-फेर भी हो गया है। ऐसे समस्त संकल्पों को एक स्थान पर क्रमवार एवं वर्षवार संकलित करके प्रस्तुत किया जाये।

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुये समाप्त की गयी।

पुष्टि की गयी

[illegible]

अध्यक्ष

8/4